

पृष्ठ  
उपम

पैपी वनाम पुनाराम पौरह

20/01/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आवश्यक काम की कार्यवाही वारंटे फिनांक-11/02/25 को पेश है।

11-2-25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वारंटे काम मुकाम की कार्यवाही हेतु/फिनांक 5-3-25 को पेश है।

5/3/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में न्यायालय समय में वारी एवं वारी अधिकार को धारा 5(1) के अन्तर्गत गैर-परन्तु कोर्ट द्वारा मर्च देने के अर्थ वारी का वाद जद्वि-काम धारा 5(1) के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल सुमर केर वारंटे पेश है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
लखी